

178524 - यदि कुरबानी का जानवर जबह करने से पहले क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका क्या हुक्म है ?

प्रश्न

मैंने इस वर्ष अल-जमइय्यह अश-शरइय्यह (शरई संस्था) के अधीन मस्जिद के माध्यम से कुर्बानी करने का इरादा किया। चुनाँचे मैं दूसरे लोगों के साथ एक बछड़े में छः हिस्से में से एक हिस्से के साथ भागीदार हुआ, और शरई संस्था को 2000 पाउंड भुगतान किया गया, और उन्होंने ने कुर्बानी के जानवर खरीदे, और भागीदार लोगों की संख्या के हिसाब से हर भागीदार समूह के लिए उनका कुर्बानी का जानवर निर्धारित कर दिया, पूर्व सहमति के अनुसार हर पाँच या छः या सात लोगों के लिए एक कुर्बानी का जानवर (निर्धारित किया गया)। लेकिन ईद की फज्र से कुछ घण्टे पहले मेरे लिए विशिष्ट कुर्बानी का बछड़ा मर गया, और उसके एवज़ में मुझे कोई धन वापस नहीं मिला; क्योंकि मैंने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया था और वह खरीदने के बाद और कुर्बानी करने से पहले मर गया। इसलिए मैंने एक दूसरा कुर्बानी का जानवर तलाश किया और 1000 पाउंड की एक बकरी जबह की। प्रश्न यह है कि: सबसे पहले इस हालत में क्या करना ठीक और अनिवार्य है? दूसरा: क्या यह भलाई से वंचित होना एक सज़ा है जो मुझे मेरे पापों के कारण मिली है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

उत्तर:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

1- यदि मनुष्य कुर्बानी का जानवर निर्धारित कर दे, फिर उसकी लापरवाही और अति के बिना वह मर जाए तो उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह “अल-मुग्नी” (9/353) में फरमाते हैं :

“यदि कुर्बानी का जानवर उसके हाथ में उसकी लापरवाही के बिना क्षतिग्रस्त हो जाए, या चोरी हो जाए, या गुम हो जाए तो उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है। क्योंकि वह उसके हाथ में अमानत है, अतः अगर उसने कोताही नहीं की है तो वदीआ के समान वह उसका ज़ामिन (ज़िम्मेदार) नहीं होगा।” अंत हुआ। देखिए: मर्दावी की पुस्तक “अल-इंसाफ़” (4/71).

2- यदि उसने स्वयं या किसी अन्य ने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है तो जो व्यक्ति उसको क्षतिग्रस्त करने का कारण बना है, वह उसकी कीमत या उसके बदले दूसरे जानवर का ज़ामिन होगा।



इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह “अल-मुगनी” (9/352) में फरमाते हैं :

“अगर उसने अनिवार्य कुर्बानी के जानवर को नष्ट कर दिया, तो उसके ऊपर उसकी कीमत अनिवार्य है, क्योंकि वह कीमत लगाई जानेवाली चीज़ों में से है, और उस दिन की कीमत का एतिबार किया जाएगा जिस दिन उसने उसे नष्ट किया है।”

जब यह स्पष्ट हो गया: तो आपके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप ने कुर्बानी के जानवर को नष्ट नहीं किया है, और न तो आप ने उसकी सुरक्षा करने में कोई लापरवाही की है।

रही बात आप ने इसके बाद कुर्बानी की नीयत से (दूसरा) जानवर ज़बह किया है तो यह एक अच्छी बात है, जिसपर इन शा अल्लाह आपको अज़्र मिलेगा। हालांकि आपके ऊपर उसके बदले में दूसरा जानवर ज़बह करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन जब आप ने कर ही लिया है तो यह ऐच्छिक (नफ़ल) है, और आपकी ओर से भलाई में वृद्धि है, इन शा अल्लाह।

तथा आपकी कुर्बानी के जानवर के मर जाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे यह इंगित होता हो कि यह एक प्रकार की महरूमी या ईश्वरीय दण्ड, या इस तरह की कोई चीज़ है। बल्कि किसे मालूम कि शायद वह एक परीक्षा हो जिसपर आपको पुण्य मिलेगा। इसके साथ-साथ आप ने भलाई करने के लिए प्रयास किया है, फिर अल्लाह ने आपके लिए मुक़द्दर किया कि आप ने नष्ट हो जाने वाले कुर्बानी के जानवर के बदले एक दूसरा कुर्बानी का जानवर ज़बह किया। यह सब, इन शा अल्लाह, आप के लिए भलाई और नेकी में वृद्धि है।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह ने फरमाया:

“दृढ़ संकल्प यदि मनुष्य उसके साथ वह चीज़ करता है जिसकी वह शक्ति रखता है तो वह शरीअत में संपूर्ण कार्य करनेवाले के समान है: उसे उस संपूर्ण कार्य करनेवाले का सवाब और उस संपूर्ण कार्य करनेवाले का दण्ड मिलेगा जिसने पूरा अपेक्षित कार्य किया हो, ताकि उसे उस चीज़ पर पुरस्कृत और दंडित किया जाए जो उसकी क्षमता के क्षेत्र से बाहर है, उदाहरण के तौर पर नेकी के कामों पर सहयोग करने वाले और उसमें भागीदार लोग।”

‘मजमूउल फतावा (10/722-723) से समाप्त हुआ। तथा देखिए: ‘मजमूउल फतावा (23/236).

हम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हैं कि वह आप के और समस्त मुसलमानों के नेक कार्य को स्वीकार करे।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।